तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म में जारी
[illegible] 13/02/25	13/02/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप०। पेशकार सरकार उप०। तहसीलदार बांदीकुई से रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल पत्रावली की गयी। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण वकील बहस सुनी। प्रार्थना पत्र, पत्रावली व तहसीलदार बांदीकुई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 रा०भू०रा० एतद् स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 13/02/25 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)

प्रकरण संख्या :—124 / 2024

प्रकरण दायर दिनांकः— 08.10.2024

प्रकरण निर्णय दिनांकः— 19.02.2025

उनवान 1.ईश्वर लाल पुत्र भूरया
2. चन्द्रप्रकाश पुत्र किशन्या
3. ज्ञानी पुत्र किशन्या
4. देवीसहाय पुत्र किशन्या
5. पूरण पुत्र महादेवा
6. बलराम पुत्र रामफुल
7. बिहारी पत्र भूरा
8. राकेश पुत्र खैराती
9. रामपति पत्नि महादेवा
10. रामप्रताप पुत्र भूरया
11. रामराज पुत्र रामफुल
12. रामसिंह पुत्र किशन्या
13. रामावतार पुत्र रामफुल
14. सुलतान पुत्र सोन्या
15. हजारी पुत्र सोन्या
16. हीरालाल पुत्र महादेवा

समस्त जाति मीना निवासी कोलवा, तहसील बांदीकुई, जिला दौसा।

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बांदीकुई, जिला–दौसा

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा. ले. रे. एक्ट</u>

निर्णय दिनांक : 19.02.2025

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा0 ले0 रे0 एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि वाके ग्राम कोलवा तहसील बॉदीकुई जिला दौसा में भमि खाता संख्या नया 153 पुराना 151 के खसरा नम्बर 693 रकबा 1.20 है०, खसरा नम्बर 694 रकबा 0.09 है०, खसरा नम्बर 695 रकबा 0.16 है०, खसरा नम्बर 696 रकबा 0.14 है०, खसरा नम्बर 697 रकबा 0.17 है०, खसरा नम्बर 698 रकबा 0.14 है०, खसरा नम्बर 699 रकबा 0.32 है०, खसरा नम्बर 700 रकबा 0.32 है०, खसरा नम्बर 701 रकबा 0.33 है०, खसरा नम्बर 702 रकबा 0.15 है0, खसरा नम्बर 703 रकबा 0.15 है0, खसरा नम्बर 704 रकबा 0.43 है., खसरा नम्बर 705 रकबा 0.20 है०, खसरा नम्बर 706 रकबा 0.21 है0, खसरा नम्बर 707 रकबा 0.31 है0, खसरा नम्बर 708 रकबा 0.28 है०, खसरा नम्बर 709 रकबा 0.48 है०, खसरा नम्बर 710 रकबा 0.03 है०, खसरा नम्बर 711 रकबा 0.40 है०, खसरा नम्बर 712 रकबा 0.08 है०, खसरा नम्बर 713 रकबा 0.09 है०, खसरा नम्बर 714 रकबा 0.08 है०, खसरा नम्बर 715 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 716 रकबा 0.14 है०, खसरा नम्बर 717 रकबा 0.20 है०, खसरा नम्बर 718

Scanned with OKEN Scanner

रकबा 0.21 है०, खसरा नम्बर 719 रकबा 0. 18 है०, खसरा नम्बर 720 रकबा 0.17 है० कुल किता 28 कुल रकबा 6.83 है० वार्षिक स्थित है जो प्रार्थीगण के कब्जे काश्त ममलूका मकबूजा खातेदारी की भूमि है। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त ममलूका मकब्जा खातेदारी की भूमि है जिसको प्रार्थीगण अर्से दराज बजमाने बुजुर्गान से काश्त कर मुफीद होते चले आ रहे है भूमि मुतदाविया के पडौसी काश्तकारान जो कि प्रार्थीगण की कमजोरी का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थीगण की भूमि को दबाने की कोशिश में लगे रहते है जो कि आये दिन खेतो के मध्य बनी हुई डोल/मेड को तोडते रहते है जिससे आये दिन झगडा फिसाद होते रहते है आये दिन आदमी मरने की सूरत पैदा हो जाती है संगीन वारदात पैदा होने की रचना पैदा हो जाती है प्रार्थी पडोसी काश्तकारात से मुकाबिला करने में असमर्थ है। इसलिये प्रार्थीगण ने अप्रार्थी नं० 1 के यहां दिनांक 19.6.2024 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी पालना में दिनांक 21.6.2024 को हल्का पटवारी के द्वारा सीमाज्ञान करवा लिया था लेकिन फिर भी पडौसी काश्तकारान प्रार्थी को आये दिन हैरान परेशान करते रहते है इसलिये उक्त भूमि की जब तक पत्थरगढी नही हो जाती तब तक पडौसी काश्तकारान प्रार्थी को आये दिन परेशान करते रहते है इसलिये हल्का पटवारी के द्वारा खसरा नम्बर 95 किस्म गै० मु० चाह और खसरा नम्बर 710 किस्म गै० मु० चाह को मुस्तकिल बिन्दू मानते हुये एवम आराजी 700, 721, 722, 699 के मध्य चौमेडा को मुश्किल मुकामन मान कर उक्त भूमि खसरा नम्बर 693 से 720 किता 28 रकबा 6.83 है० स्थित ग्राम कोलवा तहसील बॉदीकुई जिला दौसा की समस्त भुजाओं को सीमाज्ञान किया गया। अब प्राथों अपना उक्त भूमि खसरा नम्बर 693 से 720 किता 28 रकबा 6.83 है० का तहसील बॉदीकुई जिला दौसा की भूमि पर पत्थरगढी व तारबंदी के आदेश प्रार्थी न्यायालय हाजा से प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी पडोसी काश्तकारान के अनुचित हस्तक्षेप से परेशान है प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 21.6.2024 के आधार पर पत्थरगढी व तारबंदी कर उक्त सीमा विवाद का स्थायी समाधान चाहते है ताकि आये दिन होने वाले झगडो से मुक्ति मिल सकें। दिनांक 20.6.2024 को प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं० 1 के यहां अपनी भूमि की पत्थरगढी व तारबंदी करवाने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया तो अप्रार्थी ने लेने से मना कर दिया व कहा कि न्यायालय से आदेश लेकर आओ तब आपकी भूमि की पत्थर गढी व तारबंदी करेगे। इसलिये प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पेश कर निवेदन है कि भूमि मुतदाविया वर्णित पैरा नं० 1 प्रार्थना पत्र भूमि खसरा नम्बर 693 से 720 किता 28 रकबा 6. 83 है० ग्राम कोलवा तहसील बॉदीकुई जिला दौसा की मौके पर सीमाज्ञान दिनांक 21.6.2024 के अनुसार मोके पर निशानात कायम कर मौके पर पत्थरगढी व तारबंदी किये जाने के लिये अप्रार्थी सं० 1 को आदेशित फरमाया जावें मय पर्याप्त पुलिस इमदाद की सहायता के आदेश जारी किये जावे।

प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी जर्ये नोटिस विधिवत की गयी। प्रकरण में बहस प्रार्थीगण वकील सुनी गयी। प्रार्थीगण वकील ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। हमने प्रार्थीगण वकील बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात राजस्व जमाबंदी संवत 2074–77 ग्राम कोलवा खाता सं. नया 153 पुराना 151 मौका पर्चा सीमाज्ञान रिपोर्ट वाके ग्राम कोलवा दिनांकः 21.06.2024 एवं तहसीलदार बांदीकुई एवं नायब तहसीलदार देलाडी की रिपोर्ट दिनांकः 19.02.2025 का अवलोकन किया गया। दस्तावेजात राजस्व जमाबनदी संवत 2074–77 ग्राम कोलवा खाता सं. नया 153 पुराना 151 में

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। मौका पर्चा सीमाज्ञान रिपोर्ट वाके ग्राम कोलवा दिनांकः 21.06.2024 के अनुसार वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान हो चुका है। सीमाज्ञान/सीमाचिन्ह व पत्थरगढी विधिवत करने में बाधा का कोई कारण नहीं है। भूमि सुरक्षा हेतु सीमाज्ञान/सीमाचिन्ह व पत्थरगढी निर्धारित कराने का प्रार्थी को एल.आर एक्ट. प्रावधानों के अंतर्गत अधिकारात प्राप्त है। अतः प्रार्थीगण वकील बहस पर मनन करने एवं प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात राजस्व जमाबन्दी, मौका पर्चा सीमाज्ञान रिपोर्ट वाके ग्राम कोलवा दिनांकः 21.06.2024 व तहसीलदार बांदीकुई की रिपोर्ट दिनांक 19.02.2025 के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार बांदीकुई प्रार्थी की दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी खसरा नम्बर 693 से 720 किता 28 रकबा 6.83 है० ग्राम कोलवा तहसील बॉंदीकुई जिला दौसा जिला दौसा मुताबिक मौका पर्चा सीमाज्ञान वाके ग्राम कोलवा दिनांक 21.06.2024 मय राजस्व टीम भू. अ.निरीक्षक, पटवारी की गठित कर पत्थरगढी करावें। पत्थरगढी के दौरान मौके पर कानून व्यवस्था/शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक पुलिस जाप्ता थानाधिकारी कोलवा से प्राप्त करें। थानाधिकारी कोलवा वांछित पुलिस जाप्ता तहसीलदार बांदीकुई को उपलब्ध करावें। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 19.02.2025 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

१५६ 19/2/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner